

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254101
CG-DL-E-08052024-254101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1845]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2024/वैशाख 17, 1946

No. 1845]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 17, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2024

का.आ. 1938(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29), की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. एन. पी. शुक्ला, पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग, को अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से छह महीने की अवधि या आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति या 03.12.2024, या अगले आदेश, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. क्यू-15014/1/2023-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2024

S.O.1938(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby authorize Shri N P Shukla, Full Time Technical Member, Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas, to discharge the functions of the Chairperson, Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas for a period of Six (06) months w.e.f. the date of assumption of additional charge, or till appointment of a full-time Chairperson in CAQM or upto 03.12.2024, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. Q-15014/1/2023-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.